संख्या-63/2017/935/नौ-5-17-28बजट/2016

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, टूण्डला,
जनपद-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2017

विषय:-मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, टूण्डला में जल निकासी के कार्यो हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, टूण्डला के दिनांकरहित पत्र तथा शासनादेश संख्या-46/2016/686/नौ-5-16-28बजट/2016, दिनांक 17 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, टूण्डला में जल निकासी के कार्यो हेतु 12 विभिन्न नालों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-46/2016/686/नौ-5-16-28बजट/2016, दिनांक 17 मार्च, 2016 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **रूपए 290.74 लाख** के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹ 145.74 लाख (रूपए एक करोड़ पैतालिस लाख चौहत्तर हजार मात्र)** शासनादेश संख्या-2173/नौ-5-15-100बजट/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम के पीएलए/डिपोजिट खाते में रक्षित धनराशि रूपए 5801.32 लाख में से वित्तीय वर्ष 2016-17 में आहरित कर व्यय/अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या-2173/नौ-5-15-100बजट/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा पीएलए/डिपोजिट खाते में रक्षित धनराशि से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जायेगा तथा निकाय के खाते में सीधे अन्तरित किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा खाते का विवरण प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर अवमुक्त धनराशि रूपए 145.74 लाख निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) शासनादेश संख्या-46/2016/686/नौ-5-16-28बजट/2016, दिनांक 17 मार्च, 2016 जिसके द्वारा सन्दर्भित कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उक्त शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 63 /2017/935(1)/नौ-5-17-28बजट/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा/लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद/लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, फिरोजाबाद/लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अवमुक्त धनराशि तत्काल निकाय के खाते में अन्तरित कराने का कष्ट करें।
7- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ) अनुभाग-3
11- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, टूण्डला।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।